WR

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/डिक्री/टी ए/6598/2002/बाडमेर

1.हीरा 2. रतना पुत्रगण श्री काना जाति विश्नोई निवासी सनावडा कलां तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

अपीलार्थी

बनाम

1.बीरबल 2. मोहन

2.सुनील पुत्रगण सुखराम जाति विश्नोई निवासी सनावडा कलां तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर
प्रत्यर्थी संख्या 2 व3 अवयस्क द्वारा उनकी प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती सोनी पत्नी श्री सुखराम

4. हिरकन पुत्र सुरजन

5. ठाकरा पुत्र सुरजन

6. सुखराम पुत्र श्री सुरजन

7. सोना पुत्र श्री काना

8. श्रीमती वीरो पत्नी श्री काना
सभी जाति विश्नोई निवासी सनावडा कलां तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

9.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी

रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री धूकलराम कसवां सदस्य

उपस्थित

श्री डूंगर सिंह अभिभाषक अपीलार्थी

श्री अजयपाल ढिढारिया अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः

यह अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर–जैसलमेर मु. जोधपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 31–7–2002 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थीगण वादीगण ने अपीलार्थीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध सहायक कलेक्टर गुडामालानी के न्यायालय में एक वाद अधिनियम की धारा 88,188,53 के अन्तर्गत वाद पत्र में अंकित आराजी के बाबत प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से जबाब दावा प्रस्तुत होने पर दावा एवं जबाब दावा के आधार पर कुल पांच तनकीयात कायम की और बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 19–7–2001 से प्रत्यर्थीगण वादीगण का वाद स्वीकार किया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर–जैसलमेर मु. जोधपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होने अपने निर्णय दिनांक 31–7–02 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि राजस्व अपील प्राधिकारी ने वादीगण के वाद को घोषणा का वाद होना मानने में विधिक त्रुटि की है। जब तक बेचाननामे निरस्त नहीं कराये जाते तब तक पैतृक भूमि के बेचान के विरूद्ध घोषणा प्रदान नहीं की जा सकती है। राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा बेचान को शून्य होना

मानने में विधिक त्रुटि की है। राजस्व न्यायालय किसी भी बेचान को शून्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार नहीं रखता है। इस कारण यह वाद राजस्व न्यायालय में पोषनीय नहीं था। उनका तर्क है कि यदि किसी कर्ता खानदान द्वारा कोपार्सनरी सम्पति का बेचान या हस्तान्तरण कर दिया जाता है तो जब तक वह बेचान प्रभाव में रहेगा तब तक किसी कोपार्सनर को बिना उसको निरस्त कराये खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता है। इसलिये दोनेां अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त किये जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किया जावे। अपने कथन के समर्थन में आर एल डब्लू 1977 पेज 131,डब्लू एल एन 1979पेज 24, आर आर डी 1983पेज 676, आर आर टी 2001 (2)पेज 1252, ए आई आर 1971 एस सी पेज 776 की नजीरें पेश की।

5. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष बताते हुये अपील खारिज करने का निवेदन किया और तर्क प्रस्तुत किया कि दोनेां अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निर्णय व डिक्री पारित करने के उपरान्त दोनेां पक्षों द्वारा तहसीलदार गुडामालानी के समक्ष सहमति विभाजन प्रस्ताव दिनांक 18–3–08 को करवा लिया गया है जिसकी प्रति पूर्व में ही प्रत्यर्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष दिनांक 30–11–2015 को मय फर्द दस्तावेज के पेश की जा चुकी है तथा इसके पश्चात पक्षकारों द्वारा कई पंजीकृत विक्रय पत्रों से भूमि का बेचान भी किया जा चुका है। इसलिये यह अपील सारहीन हो चुकी है। अपने कथन के समर्थन में ए आई आर 1971 राज. पेज 164, आर एल डब्लू 1981 पेज 593, आर आर डी 1982 पेज 299, आर आर डी 1984 पेज 280,829,851, आर आर डी 1995 पेज113,532,736की नजीरें पेश की।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का भी बारीकी से अध्ययन किया।

7. यह स्वीकृत तथ्य है कि वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पति है। पैतृक सम्पति में पुत्र व पौत्रों का जन्म से ही अधिकार बनता है। इस प्रकरण में वादीगण यह वाद लेकर आये हैं कि वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पति है और उसमें वादीगण का भी हिस्सा है। इसलिये मौजा सनावडा कला के खेत खसरा नम्बर 18 में 31बींघा 13 विस्वा एवं खसरा नम्बर 17 में 2/1/4 विस्वा का खातेदार घोषित किया जावे साथ ही प्रतिवादी सुखराम द्वारा प्रतिवादीगण हीरा व रतना के पक्ष में किये गये बेचान दिनांक6-10-89 को अवैध एवं शून्य घोषित किया जावे और इन बेचानों के आधार पर किये गये नामान्तरकरण संख्या 128 दिनांक 30-9-93 को निरस्त किया जाकर राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी हीरा व रतना के नाम किये गये इन्द्राज निरस्त किये जावें।

8. वादीगण ने वाद घोषणा खातेदारी का प्रस्तुत किया है और वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी की स्वअर्जित आराजी न होकर पैतृक आराजी है जिसमें वादीगण का भी जन्म से ही अधिकार है। घोषणा का वाद केवल राजस्व न्यायलय ही तय कर सकती है। जब वादीगण खातेदारी की घोषणा कराने के अधिकारी हैं तो वादीगण के हिस्से की बेचान की गई भूमि का बेचान स्वतः ही निरस्त हो जाता है। उक्त बेचान को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त कराने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2012 (2) WLC (Raj.) 797में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है जिसमें यह प्राविधित किया गया है कि-

Rukmani Vs Bhola & ors 2012 (2) WLC (Raj.) 797. In that case, the Hon'ble High Court held under:-

"If the substance of the pleadings and relief claimed by the plaintiff-appellant is considered in a right perspective, it is clear that the plaintiff by means of the present suit is seeking a relief of declaration in her favour that she is khatedar tenant/co-tenant of 1/2 share of the land in dispute alongwith the defendant. The land in dispute being an agricultural land, such declaration can be given only by a revenue court under the provisions of the Act. It cannot be disputed that a suit for declaration regarding an agricultural land is to be filed under Section 88 of the Act if a person claims to be tenant or a co-tenant in the agricultural land in dispute. Section 207 of the Act provides that all suits of the nature specified in the third schedule shall be heard and determined by a revenue ocurt and no other court other than a revenue court shall take cognizance of any such suit. In item 5 of the third schedule a suit for declaration under Section 88 of the Act has been mentioned. I am also of the view that if the revenue court passes a decree for declaration in favour of the plaintiff to the effect that she is khatedar-tenant or co-tenant of 1/2 or any other share in the land in dispute, that court is equally competent to grant a consequential relief to the effect that the sale deed in question is void and ineffective to the extent of share of the plaintiff and it is not essential for the plaintiff to file a separate suit thereafter in a civil court for getting the sale deed cancelled. I am also of the view that if the revenue court declares the plaintiff co-tenant of the land in dispute, it is not necessary for her to get the sale deed cancelled as that would be automatically void and ineffective to the extent of share of the plaintiff."

इसी प्रकार 2015 (3) WLN 284 (Raj.),में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि–

"So far as the plea raised by learned counsel for the petitioner that the jurisdiction to cancel the sale deed is exclusively with the civil court and therefore, the same is necessarily barred before the Revenue Court, is concerned, the said aspect has been comprehensively dealt with in the case of Jaswant Singh (supra) and Rukmani (supra), wherein it has been held that if the sale deed

is claimed to be void and/or the cancellation thereof is merely ancillary to the main relief of declaration and partition, the said relief can be granted by the Revenue Court as well and it cannot be said that the jurisdiction of the Revenue Court is affected thereby."

९. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों को मध्य नजर रखते हुये हम दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में बिना किसी ठोस आधार के द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ए आई आर 1999 एस सी पेज2213 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

Second appeal- Relief cannot be granted merely on equitable grounds- Concurrent finding of facts however erroneous-Cannot be interfered with.

RRT 2001 page 883- Rajasthan Tenancy Act1955- Section 224 readwith Section100,Code of Civil Procedure 1908-Both the lower Courts has concurrently on facts held that the plaintiff is not tenant and he has not acquired title by sale deed- Therefore in this second appeal unless it is found that the findings recorded are illegal or purchase in nuture, till then this court cannot disturb the concurent findings recorded by the Court below as held in AIR1959S.C.page 57-Hence this second appeal was dismissed.

10. उपरोक्त विवेचन,विश्लेषण एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवां)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष